

जनपद-संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 17.05.2025

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को हत्या सहित डकैती के अपराध में 09 वर्ष 06 माह के कठिन कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 16.05.2025 को ***माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त नाम पता मौजम बंजारा पुत्र खोखे निवासी तरकुलवा उर्फ भटगवां थाना श्यामदेउरवा जिला महाराजगंज को 09 वर्ष 06 माह के कठिन कारावास व 2000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 966/15 धारा 396, 412 भादवि थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को धारा 396, 412 भादवि के अपराध में 09 वर्ष 06 माह के कठिन कारावास व 2000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कठिन कारावास से भुगतना होगा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को हत्या के प्रयास के अपराध में 03 वर्ष के कारावास व 500रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 16.05.2025 को ***माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त नाम पता मौजम बंजारा पुत्र खोखे निवासी तरकुलवा उर्फ भटगवां थाना श्यामदेउरवा जिला महाराजगंज को 03 वर्ष के कारावास व 500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 1101/15 धारा 307 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को धारा 307 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट के अपराध में 03 वर्ष के कठिन व 500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना धनघटा* पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता दुर्विजय पुत्र सुरेश निवासी बड़सा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री तुफानी सिंह यादव, हे0 का0 मनोज प्रसाद।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 99 वाहनों से 1,61,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 99 वाहनों से 1,61,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अदद अवैध देशी तमचा 12 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री रामकृष्ण मिश्र* के नेतृत्व में थाना धनघटा पुलिस द्वारा दिनांक 16.05.2025 को रात्रि में ग्राम सेमरी गाँव को जाने वाली सड़क मार्ग पर पुलिया के पास एक नफर अभियुक्त 01. शुभम पुत्र हनुमान निवासी कोड़ईचा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद अवैध देशी तमचा 12 बोर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 222/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

1. 01 अवैध देशी तमचा 12 बोर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

उ0नि0 अनिल यादव, हे0का0 प्रमोद कुमार राय, का0 आशुतोष पाण्डेय, का0 विनय सिंह।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 102/2025 धारा 65(1), 191(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता मोहन उर्फ मुन्ना पुत्र करेठा निवासी ग्राम बालेपार टोला फारम थाना बेलहरकला जिला संतकबीरनगर को आज दिनांक 17.05.2025 को राजघाट पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 17.05.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष श्री श्याम मोहन, उ0नि0 श्री विश्वकर्मा गिरी, हे0का0 पवन कुमार यादव, का0 रविन्द्र निषाद।

***पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 1050 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित**

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 17.05.2025 को *माननीय न्यायालय सीजे(एसडी)/ एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर * के द्वारा अभियुक्त नाम पता तूफानी लोनिया पुत्र रामबली निवासी मथुरानगर टोला नाथनगर उर्फ प्रगार थाना फरेंदा जनपद- संतकबीरनगर (जाति-लोनिया) को 03 वर्ष के कारावास व 500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 202/2000 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को दोषसिद्ध अभियुक्त तूफानी लोनिया को धारा-3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में जुर्म स्वीकृति के आधार पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1050 रुपये का अर्थदण्ड. अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिवस का साधारण कारावास से भुगतना होगा।